कार्यालय प्रधान जिला एवम् सत्र न्यायधीश, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए समय का विस्तार

उत्तर व उत्तर-पश्चिम जिले में तैनात सभी कर्मचारियों का ध्यान इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-28755-890/हिन्दी विभाग/उत्तर/उत्तर-पश्चिम/रोहिणी/2025 दिनांक 28.08.25 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा सभी कर्मचारियों को सूचित किया गया था कि रोहिणी न्यायालय में एक **स्वरचित रचना** (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृतांत आदि) प्रतियोगिता जो कि दोनों जिलों (उत्तर व उत्तर पश्चिम) में संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है और प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तारीख 10 सितंबर 2025 थी।

सभी कर्मचारियों को पुनः सूचित किया जाता है कि अब उपरोक्त प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रविष्टियाँ भेजने की अंतिम तिथि विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम जिला ने बढ़ा दी हैं। सभी कर्मचारियों अपनी प्रविष्टियाँ **20.09.2025** तक भेज सकते हैं। जिन कर्मचारियों ने अपनी प्रविष्टियाँ पहले भेज चुके हैं, उन्हें दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्रतियोगिता के संबंध में पूर्ववर्ती परिपत्र के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित है।

सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इस प्रतियोगिता में बढ़-चढ़ के हिस्सा लें।

(श्रीजी एबट)
विद्वत नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी विभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

(अपूर्व भारद्वाज)
विद्वत नोडल अधिकारी,
राजभाषा हिन्दी विभाग (उत्तर-पश्चिम),
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

न० 32804-941 /हिन्दी विभाग/उत्तर/उत्तर-पश्चिम/रोहिणी/2025 दिनांक 17/09/25

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिपत्र एवं संलग्नकों की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1) समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारीगण, जिला उत्तर व उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
2) समस्त विद्वत न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जिला उत्तर व उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
3) कार्यालय दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिला उत्तर व उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
4) समस्त अनुभाग प्रभारी, जिला उत्तर व उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
5) अनुभाग प्रभारी, प्रतिलिपि अनुभाग, वी०डब्ल्यू०डी०सी०अनुभाग, सुविधा केंद्र, स्टेशनरी अनुभाग, फाइलिंग अनुभाग, देख-रेख अनुभाग और प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
6) निजी कार्यालय, विद्वत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उत्तर व उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।
7) संबंधित कर्मचारी लेयर्स, संलग्नकों सहित इसे लेयर्स पर अपलोड करने हेतु।
8) वेबसाइट, जिला न्यायालय, दिल्ली, संलग्नकों सहित इसे जिला न्यायालय दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कृप्या ध्यान दें:- उपयुक्त समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारियों व अन्य अधिकारियों से अनुरोध है कि परिपत्र से अपने नियंत्रणाधीन जिला न्यायालय, उत्तर व उत्तर पश्चिम, दिल्ली के तहत तैनात कर्मचारियों को अवश्य अवगत करवाये और इच्छुक कर्मचारियों के आवेदन पत्र उनकी रचनाओं सहित निर्धारित तारीख तक भिजवाने का कष्ट करें।

(श्रीजी एबट)
विद्वत नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी विभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

(अपूर्व भारद्वाज)
विद्वत नोडल अधिकारी,
राजभाषा हिन्दी विभाग (उत्तर-पश्चिम),
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली